

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफएसएसए/2018/444 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा निम्नलिखित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया गया है। निम्नलिखित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी निम्नानुसार वर्णित दिनांक से निदेशालय मुख्यालय पर आदेश की प्रतिकारत थे, जिन्हें आज दिनांक 15.05.2018 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपनी उपस्थिति नवपदस्थापन पर तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	नाम	निदेशालय में उपस्थिति दिनांक (APO अवधि)	नवीन पदस्थापन
1	श्री हारून खान	19.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के अधीन
2	श्री अरुण सक्सेना	19.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन
3	श्री अशोक कुमार गुप्ता	19.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के अधीन
4	श्री महमूद अली	19.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के अधीन
5	श्री श्याम सुन्दर	20.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर--द्वितीय के अधीन
6	श्री दीपक कुमार सिन्धी	20.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ के अधीन
7	श्री पी.सी. जैन	23.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के अधीन
8	श्री रमेश सैनी	24.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के अधीन
9	श्री राजेश टिंकर	25.04.18 से 15.05.18	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर
दिनांक:—15/5/18

क्रमांक:—एफएसएसए/2017/448

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुप-3), विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा), मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी (एफएसएसए) एवं संयुक्त निदेशक (ग्रा0स्वा), मुख्यालय।
7. सभस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-राजस्थान।
8. सभस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. सम्बंधित अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पालनार्थ।
10. प्रभारी, सर्वररूम, मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल करने ज्ञाते।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर